मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

MACP No. 49/2019

पंजीकरण दिनांक:	निर्णय दिनांक:	अवधि:
02/05/19	08/07/21	2 वर्ष, 6 माह, 2 दिन

पीठासीनः **श्री चंद्रोदय कुमार, H. J. S.**

1. श्रीमती फूलवती देवी पत्नी स्व. श्री पवन यादव, आयु- 31 वर्ष
2. कुंदन यादव पुत्र स्व. श्री पवन यादव, आयु- 10 वर्ष
3. शीतल कुमारी पुत्री स्व. श्री पवन यादव आयु**-** 9 वर्ष
4. शालू कुमारी पुत्री स्व. श्री पवन यादव, आयु**-** 6 वर्ष
5. श्रीमती मुलिया देवी पत्नी श्री रामू यादव, आयु- 52 वर्ष
6. रामू यादव पुत्र स्व. श्री कृति यादव, आयु- 62 वर्ष,
समस्त निवासीगण वार्ड संख्या- 1 ग्राम- भुआलडीह, पोस्ट मकतपुर, थाना- जयनगर, जिला- कोडरमा (झारखण्ड)

\- - - - - - - - - - - - - - **याचीगण**

प्रति

1. राजकुमार गुप्ता पुत्र श्री जगन्नाथ गुप्ता, निवासी- 609/26 छोटी माता मंदिर के पास, मसीहांगज, थाना- सीपरी बाजार, झाँसी **(मालिक ट्रक संख्या- UP93BT4618)**
2. प्रेमनारायण कुशवाहा पुत्र श्री नारायण कुशवाहा उर्फ पन्नालाल कुशवाहा, निवासी- उन्नाव बालाजी, जिला- दतिया, म. प्र. **(चालक ट्रक संख्या- UP93BT4618)**
3. यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि., नन्दनपुरा शिवपुरी रोड, झाँसी **(बीमाकर्ता ट्रक संख्या- UP93BT4618)**
4. रियलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी, हजरतगंज, लखनऊ **(बीमाकर्ता ट्रक संख्या- NL01AA2095)**

\- - - - - - - - - - - - **विपक्षीगण**

याचीगण के अधिवक्ता- **श्री महेन्द्र सिंह राजावत**
विपक्षी संख्या- 1 एवं 2 के अधिवक्ता- **श्री के. पी. श्रीवास्तव**
विपक्षी संख्या- 3 के अधिवक्ता- **श्री हरिशचन्द्र सिंह यादव**
विपक्षी संख्या- 4 के अधिवक्ता**- श्री सुनील शुक्ला**

अधिनिर्णय

याचीगण की ओर से यह याचिका विपक्षीगण के विरुद्ध पृथक-पृथक एवं संयुक्त रूप से धारा- 166 एवं 140 मो. वा. अधिनियम के अन्तर्गत मोटर वाहन दुर्घटना में याची सं. 1 के पति याचीगण सं. 2, 3, व 4 के पिता एवं याचीगण सं. 5, व 6 के पुत्र पवन यादव की मृत्यु पर ₹80,94,000 प्रतिकर एवं उस पर 12% वार्षिक दर से ब्याज दिलाये जाने हेतु योजित की गयी है।

2. संक्षेप मे याचिका के अभिकथन यह हैं कि दिनाँक 27.12.2018 को पवन यादव समय करीब 11.55 बजे ट्रक संख्या- NL01AA2095 को चलाकर रतलाम से जियो टेलीफोन के पाइप लोड करके कलकत्ता जा रहे थे। जब वे थाना- चिरगॉव के देदर होटल के पास हाई-वे रोड पर पहुँचे तो ट्रक संख्या- UP93BT4618 जो आगे चल रहा था, के चालक ने उपरोक्त ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये बिना कोई संकेत दिये दाहिनी ओर दबाकर अचानक ब्रेक मार दिया जिससे उनकी गाड़ी उपरोक्त ट्रक से टकरा गयी जिस कारण मौके पर ही पवन यादव की मृत्यु हो गयी। इस घटना को दूसरे ट्रक के क्लीनर राजू यादव पुत्र श्री रामचंद्र यादव एवं अन्य लोगों ने देखा है। इस घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई धर्मेंद्र यादव ने दिनाँक 29.12.18 को दर्ज कराई है। उपरोक्त घटना ट्रक संख्या- UP93BT4618 के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित हुई। कथित घटना के समय पवन यादव 32 वर्षीय हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था तथा स्वंय उक्त ट्रक का मालिक व चालक था जिससे वह प्रतिमाह लगभग ₹32,000 आय अर्जित करता था, जिससे पूरे परिवार का खर्च चलता था परन्तु कथित घटना में आयी गम्भीर चोटों के कारण हुई असमायिक मृत्यु के कारण याचीगण का पूरा परिवार मानसिक, शारीरिक कष्ट सह रहा है तथा याची संख्या- एक अपने पति के स्नेह प्यार एंव दाम्पत्य जीवन से तथा शेष याचीगण अपने पिता एवं पुत्र के स्नेह व प्यार से हमेशा के लिए वंचित हो गये है।

3. विपक्षी संख्या- एक राजकुमार की ओर से जवाबदावा 38B दाखिल कर कथित घटना के तथ्यों से इंकार करते हुये अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि याचीगण ने दावा हाजा गलत बयानी से झूठे वाक्यातों के आधार पर प्रतिकर प्राप्त करने के आशय से याचिका योजित की है। याचीगण ने अधिक प्रतिकर पाने के आशय से मृतक की आय ₹32,000 दर्शित की है। न्यायालय की राय में यदि पाया जाता है कि कथित घटना प्रश्नगत ट्रक संख्या- UP93BT4618 के चालक की अंशदायी/योगदायी उपेक्षा के कारण घटित हुई है तो विपक्षी उसी अंशदायी योगदायी के अनुपात में क्षतिपूर्ति भुगतान न करने के लिए उत्तरदायी होगा। कथित घटना के समय प्रश्नगत ट्रक के चालक के

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.08.07 18:11:49 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.08.11 18:10:30 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

पास उक्त वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस था तथा उक्त ट्रक विपक्षी संख्या- तीन यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी से विधिवत बीमित था। ऐसी स्थिति में प्रतिकर अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या- तीन पर है।

4. विपक्षी संख्या- दो प्रेमनारायण कुशवाहा की ओर से जवाब दावा 40B दाखिल कर याचिका में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन में कहा गया है कि याचीगण ने मनगढन्त कहानी बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर मात्र प्रतिकर प्राप्त करने के आशय से याचिका योजित की है। दिनाँक 27.12.2018 को समय करीब 11.55 बजे थाना- चिरगाँव के देदर होटल के पास हाइवे रोड पर कथित घटना घटित होना कहा गया है, वह गलत है। विपक्षी का ट्रक रोड से साइड पर खड़ा था तभी पीछे से याची के पति चालक ट्रक संख्या- NL01AA2095 ने पीछे से टक्कर मारी थी। याचीगण ने अधिक प्रतिकर पाने के आशय से मृतक की आयु 32 वर्ष एवं आय ₹32,000 दर्शित की है। कथित घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई धर्मेन्द्र यादव द्वारा दिनाँक 29.12.18 को अ. सं. 309/19 धारा- 279, 304A, 427 IPC के अन्तर्गत अज्ञात चालक ट्रक संख्या- UP93BT4618 के विरुद्ध गलत दर्ज कराई है। याचीगण ने मृतक की आयु एवं आय सम्बन्धी दस्तावेज दाखिल नहीं किये हैं। कथित घटना के समय विपक्षी के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस था।

5. विपक्षी संख्या- तीन यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की ओर से जवाबदावा 26B दाखिल कर याचिका में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन में कहा गया है कि याचीगण ने मनगढन्त कहानी बनाकर गलत तथ्यों के आधार पर मात्र प्रतिकर प्राप्त करने के आशय से याचिका योजित की है। याचीगण ने अधिक प्रतिकर पाने के आशय से मृतक की आयु 32 वर्ष एवं आय ₹32,000 दर्शित की है। कथित घटना में ट्रक संख्या- UP93BT4618 के चालक की कोई योगदायी उपेक्षा नहीं है। कथित घटना के समय प्रश्नगत वाहन ट्रक के चालक के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था न ही स्वंय मृतक के पास ट्रक चलाने का वैध लाइसेंस था। वर्तमान मामला दो वाहनों की टक्कर होने के कारण योगदायी उपेक्षा से सम्बन्धित है, ऐसी स्थिति में अंशदायी उपेक्षा के अनुपात में ही क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व रहेगा।

6. विपक्षी संख्या- चार रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से जवाबदावा 29A दाखिल कर याचिका में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुये अतिरिक्त कथन में बल दिया गया कि घटना के समय ट्रक संख्या- NL01AA2095 के चालक के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था। कथित घटना की कोई सूचना सम्बन्धित थाने से विपक्षी बीमा कम्पनी को प्राप्त नहीं कराई गयी है न ही याचीगण ने कथित ट्रक के कागजात सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये हैं। कथित घटना में मृतक ट्रक चालक की कोई गल्ती नहीं बतायी गयी है अपितु कथित घटना ट्रक संख्या- UP93BT4618 के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण घटित होना बताया गया है और इसी कारण ट्रक संख्या- NL01AA2095 के विरुद्ध कोई क्षतिपूर्ति नहीं चाही गयी है।

7. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद विन्दु विरचित किये गये-

1. क्या दिनाँक 27.12.2018 को याचीगण के पति, पिता एवं पुत्र समय रात्रि करीब 11.55 बजे ट्रक संख्या- NL01AA 2095 को चलाकर रतलाम से जियो टेलीफोन के पाइप लोड करके कलकत्ता जा रहे थे, जैसे ही वह थाना- चिरगाँव क्षेत्र के देदर होटल के पास हाइवे रोड पर पहुंचे तो ट्रक संख्या- UP93BT4618 जो आगे चल रहा था, जिसके चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये बिना कोई संकेत दिये दाहिनी तरफ दबाकर अचानक ब्रेक मार दिया जिससे उनकी गाड़ी उपरोक्त ट्रक से टकरा गयी और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी ?

2. क्या प्रश्नगत दुर्घटना दोनो वाहन चालकों की योगदायी/अंशदायी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप घटित हुई है, यदि हाँ तो प्रभाव ?

3. क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था, यदि हाँ तो प्रभाव ?

4. क्या दुर्घटनाग्रस्त वाहन दुर्घटना के समय बीमा कम्पनी के यहां विधिवत रूप से बीमित था, यदि हाँ तो प्रभाव ?

5. क्या याचीगण कोई क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हाँ तो कितनी व किस विपक्षी से ?

6. अन्य अनुतोष ?

8. **<u>याचीगण की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य</u>**

याचीगण की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची- 7C से प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रश्नगत वाहन ट्रक संख्या- UP93BT4618 का परमिट, फिटनिस, टैक्स रसीद, बीमा पालिसी, मृतक का चालक अनुज्ञा पत्र, ट्रक संख्या- NL01AA2095 का पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, फिटनिस, बीमा पालिसी, उक्त वाहन सम्बन्धी समुचित विवरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मृतक का आधार कार्ड, याचीगण के आधार कार्ड आदि की छाया प्रतियाँ, सूची- 42C से आरोप पत्र, नक्शा नजरी, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, वाहन यांत्रिक परीक्षण आख्यायें क्रमशः ट्रक संख्या- NL01AA2095 एवं UP93BT4618 की सत्यापित प्रतियां तथा मृतक पवन यादव द्वारा

दाखिल आयकर रिर्टन की प्रतियां दाखिल की गयीं तथा मौखिक साक्ष्य में PW-1 फूलवती देवी स्वंय याची संख्या- एक एवं PW-2 राजू यादव को परीक्षित किया गया।

9. **विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य**

विपक्षी संख्या- एक राजकुमार की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची- 32C से प्रश्नगत वाहन ट्रक संख्या- UP93BT4618 का परिमट, बीमा पालिसी, चालक अनुज्ञा पत्र प्रेमनारायण, अस्थाई परिमट, टैक्स रसीद, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियाँ दाखिल की गयीं। विपक्षी संख्या- दो प्रेमनारायण कुशवाहा की ओर से सूची से चालक अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति दाखिल की गयी। विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में किसी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया।

10. मैंने उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन एवं मूल्याँकन किया।

निष्कर्ष

11. **निस्तारण वाद विन्दु संख्या- एक एवं दो**

परस्पर सम्बन्धित होने के कारण उपरोक्त वाद विन्दुओं को निस्तारण हेतु एक साथ लिया जा रहा है। याचिका में वर्णित तथ्यों को साबित करने के लिए याचीगण की ओर से PW-1 फूलवती देवी को परीक्षित किया गया है, जिसे मृतक पवन यादव की पत्नी होना कहा गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में याचिका में वर्णित कथित घटना के तथ्यों का पूर्ण समर्थन किया है तथा दुर्घटना में अपने पति को आयी गम्भीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु होना बताया है तथा कथन किया है कि कथित घटना प्रश्नगत वाहन ट्रक संख्या- UP93BT4618 के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके पति के ट्रक की ओर दाहिनी दबाते हुये अचानक ब्रेक मार दिये जाने से दोनो ट्रकों के टकरा जाने के कारण घटित हुई है। यह साक्षी चक्षुदर्शी नही है। दुर्घटना कैसे घटी इसके अलावा इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई बात नहीं आयी है जिसके आधार पर इस साक्षी की साक्ष्य को अविश्वसनीय माना जा सके।

12. पत्रावली पर उपलब्ध कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 8C1/2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई धर्मेन्द्र यादव द्वारा दिनाँक 29.12.18 को थाना- चिरगॉव में दर्ज कराई गयी है, जिसमें कथित घटना प्रश्नगत वाहन ट्रक के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये अपनी साइड पर जा रहे पवन यादव के ट्रक की मोटर साइकिल में जोरदार टक्कर मार दिये जाने का उल्लेख करते हुये कथित घटना में आयी गंभीर चोटों के कारण दौरान इलाज उसकी मृत्यु होना जाना कहा गया हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मात्र 1 दिन का विलंब है जो मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में महत्त्वहीन है। विधि व्यवस्था Ravi vs. Badrinarayan & ors. (18.02.2011- SC): MANU/SC/0133/2011 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए F. I. R. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है, जिससे कि पीडित क्षतिपूर्ति के लिये एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। वर्तमान मामले में कथित घटना में आयी गम्भीर चोटों के कारण इलाज के दौरान पवन यादव की मृत्यू हो जाना कहा गया है। वर्तमान मामले में कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के बाद विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में कथित घटना प्रश्नगत वाहन ट्रक के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण होना पाते हुये उसके विरुद्व आरोप पत्र धारा- 279, 304A, 427 IPC के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध आरोप पत्र 42C/1 से होती है। विधि व्यवस्था Sunita and Ors. vs. Rajasthan State Road Transport Corporation and Ors. (14.02.2019 - SC) : MANU/SC/0204/2019 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्वान्त प्रेक्षित किया है कि यदि दुर्घटना कारित वाहन चालक के विरुद्व आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसके वाहन की दुर्घटना में प्रथम दृष्टया संलिप्तता मानी जानी चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध मृतक पवन यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 44C/1 से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सड़क दुर्घटना में आयी गम्भीर चोटों के कारण पवन यादव की मृत्यु हुई थी। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य से याचिका में वर्णित कथित घटना के तथ्यों की पुष्टि होती है।

13. साक्षी PW- 2 राजू यादव जिसे कथित घटना का चक्षुदर्शी बताया गया है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में याचिका में वर्णित घटना के तथ्यों का समर्थन करते हुये कहा है कि दिनाँक 27.12.18 को वह एक ट्रक पर क्लीनरी कर रहा था। उसकी गाड़ी मृतक पवन यादव की गाड़ी के पीछे चल रही थी। मृतक पवन यादव ट्रक संख्या- NL01AA2095 को अपनी साइड पर धीमी गति से चला रहा था। जब वह चिरगॉव क्षेत्र के देदर होटल के पहले हाई-वे रोड पर पहुँचा तो उसके आगे एक ट्रक संख्या- UP93BT4618 के चालक द्वारा उपरोक्त ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाते हुये बिना संकेत दिये गाड़ी दाहिनी तरफ दबाकर समय करीब 11.55 बजे रात अचानक ब्रेक मार दिया जिससे पवन यादव की गाड़ी उससे टकरा गयी और पवन यादव को गम्भीर चोट आयीं, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी एवं गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी। उसने मृतक के घर वालों को फोन पर सूचना दी थी, पुलिस भी आ गयी थी। इस साक्षी से विपक्षी सं. 3 की ओर से जिरह मे कथन किया है कि दुर्घटना के समय कोई जानवर रोड़ पार नही कर रहे थे और सड़क पर गडढे, स्पीड ब्रेकर नही

थे। वह दुर्घटना के समय गाड़ी के केबिन अंदर बैठा था। ड्राइवर के बांये वाली सीट पर बैठा था। उसका मुँह व पैर ड्राइवर की तरफ था। मेरे विचार से यदि यह साक्षी ड्राइवर के बांये वाली सीट पर बैठा था और उसका मुँह व पैर ड्राइवर की तरफ था तो इसके द्वारा इसके आगे वाले ट्रक के आगे वाले ट्रक की तेजी व लापरवाही देखी जा सकती है और न ही ब्रेक लगाये जाने का कारण। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा मे यह भी कथन किया है कि आगे वाली गाड़ी UP93BT4618 बहुत तेज भाग रही थी और पवन की गाड़ी (पीछे वाला ट्रक संख्या- NL01AA2095) 40-45 कि. मी. प्रति घंटे की रफतार से चल रही थी। उसकी गाड़ी की स्पीड भी 40-45 कि.मी. प्रति घंटा रही होगी। यदि ऐसा था तो दुर्घटना तब तक नही हो सकती जब तक कि ट्रक संख्या- UP93BT4618 ने दोनों ट्रको को ओवरटेक करके आगे आ जाने के बाद ब्रेक न लगाये। ओवरटेक करके आगे आ जाने के बाद ब्रेक लगाने का कोई कथानक नही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह साक्षी कुछ पक्षपात अवश्य कर रहा है। हलाँकि मृतक व व इस साक्षी के मात्र यादव जाति बिरादरी के आधार पर इस साक्षी द्वारा झूठा बयान दिए जाने का सुझाव स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। हाँ, यह संभव हो सकता है कि सहानुभूति के कारण यह साक्षी याचीगणें का कुछ फेवर कर रहा हो। भले ही ट्रक संख्या- UP93BT4618 का चालक परीक्षित न हुआ हो तो भी दुर्घटना में किसकी कितनी लापरवाही थी इस पर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत प्रकरण मे res ipsa loquitor के सिद्धांत को सफलता पूर्वक लागू किया जा सकता है।

14. जहां तक कथित सडक दुर्घटना में मृतक पवन यादव की योगदायी उपेक्षा एवं लापरवाही का प्रश्न है तो उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा नजरी 43C½ व दोनों ट्रको की यांत्रिक परीक्षण आख्यायाओं का अवलोकन आवश्यक होगा, जो निम्नवत हैं-

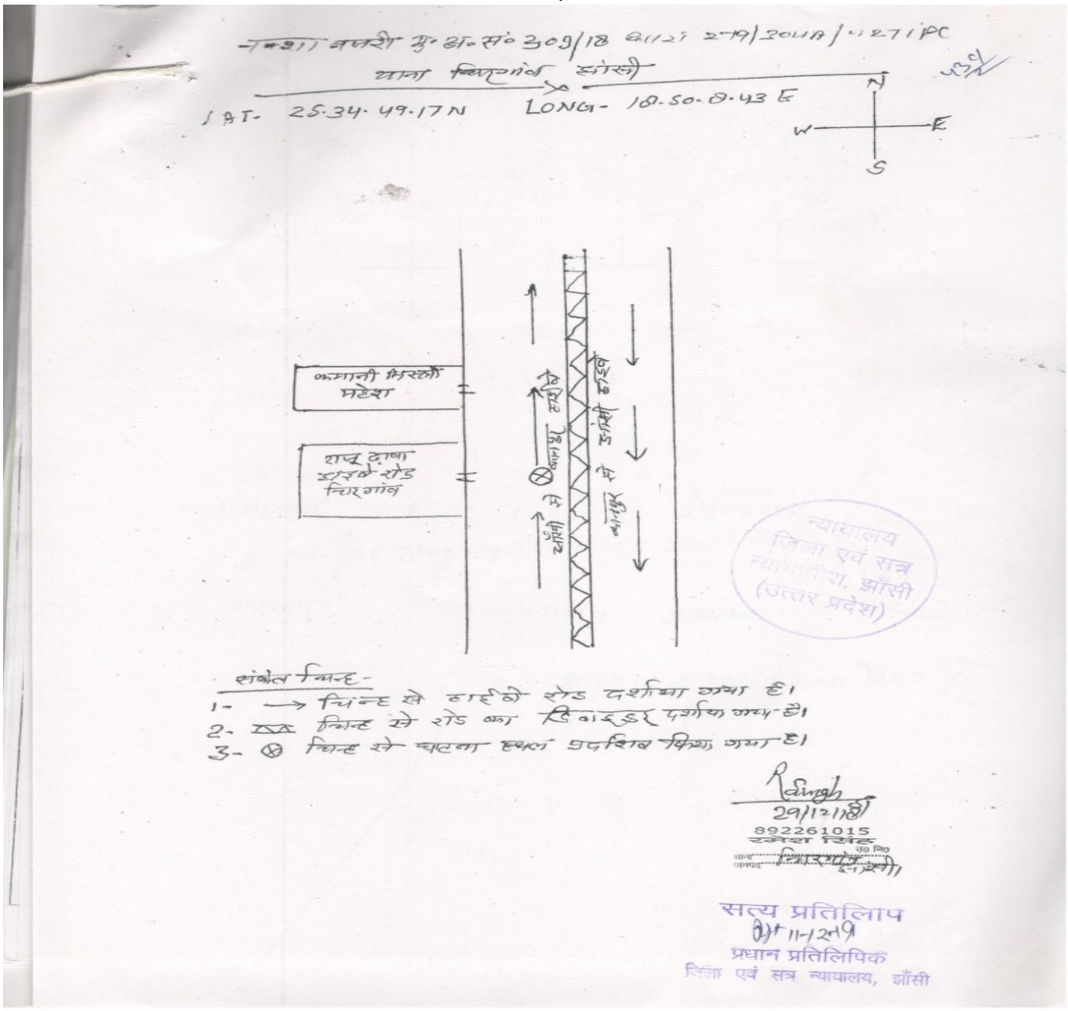

उक्त नक्शा नजरी आगे-पीछे की टक्कर दर्शाता है। कथित घटना में मृतक पवन यादव की योगदायी उपेक्षा के तथ्य को स्पष्ट करने हेतु पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त दोनो वाहनों के यांत्रिक परीक्षण आख्यायें 45C1/2 एवं 46C1/2 भी अवलोकनीय हैं। वाहन ट्रक संख्या- NL01AA2095 की यांत्रिक परीक्षण आख्या में उक्त वाहन की चैसिस, इंजन, कूलिंग सिस्टम, गियर, संस्पेंशन, स्टेरिंग, ब्रेक की दशा क्षतिग्रस्त बताते हुये अंकित किया गया है कि उक्त वाहन के अगले टायर फटे हुये, हेडलाइट क्षतिग्रस्त एवं पूरा केबिन क्षतिग्रस्त है जबकि वाहन ट्रक संख्या- UP93BT4618 के बायें एक टायर फटा हुआ व पिछला बम्पर, बैक लाइट एवं अगला बम्पर दाहिनी साइड क्षतिग्रस्त होना बताते हुये शेष सभी हिस्सों की दशा को संतोष जनक दर्शित किया गया है, जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मृतक चालक पवन यादव का वाहन ट्रक संख्या- UP93BT4618 में ठीक पीछे टकराया है।

15. वाहन मे ब्रेक इसीलिए होते हैं कि वाहन को आवश्यकता पड़ने पर रोका जा सके कोई। यदि पीछे वाला वाहन 40-45 कि.मी. प्रति घंटे की रफतार से चल रहा था तो जाहिर है कि आगे वाला

वाहन भी 40-45 कि.मी. प्रति घंटे या उससे कम रफतार से ही चल रहा था अन्यथा वह आगे चला गया होता। तो 40-45 कि.मी. प्रति घंटे या उससे कम रफतार पर वाहन चालन लापरवाहीपूर्वक चालन नही कहा जा सकता है। आगे वाले वाहन की टेल लाईट व ब्रेक लाईट के संबंध मे साक्षी ने स्पष्टतः कुछ नही कहा है। इस संबंध मे पीछे वाले ट्रक संख्या- NL01AA2095 का क्लीनर राज कुमार यादव बेहतर साक्षी हो सकता था किंतु किन्ही कारणों से उसकी मुख्य परीक्षा के बाद उस साक्षी को प्रत्याहृत कर लिया गया है। दिसंबर मे आधी रात में अक्सर कोहरा रहता है। स्वाभाविक है पीछे वाले वाहन के चालक को भी अपना वाहन सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए तथा आगे वाले वाहन से इतनी दूरी बना कर चलना चाहिए कि यदि आगे वाला वाहन उस स्पीड पर किन्ही कारणों से अचानक ब्रेक लगाए तो पीछे वाला वाहन चालक अपने वाहन को बगैर टक्कर हुए रोक सके। यह मामला ऐसा भी नहीं है कि पीछे वाले वाहन द्वारा आगे वाले वाहन को ओवरटेक करते समय आगे वाले वाहन ने बगैर साइड देखे दाहिने मोड़ कर ब्रेक लगाया हो। यदि ऐसा होता तो अवश्य ही आगे वाले वाहन चालक की शत प्रतिशत लापरवाही मानी जा सकती थी। चूँकि दोनों वाहनों मे से किसी भी वाहन द्वारा ओवरटेकिंग के समय दुर्घटना होने का कोई मामला नहीं है। और इस बात का भी कोई सबूत नही है कि ट्रक संख्या- UP93BT4618 के चालक ने अचानक ब्रेक क्यों लगाए इसलिए मैं इस मत का हूँ कि पीछे वाले वाहन की भी इस टक्कर में 20% की योगदायी लापरवाही रही है।

16. रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि चूँकि याचिनी श्रीमती फूलमती देवी PW-1 ने अपने साक्ष्य मे कहा है कि याचिका में उसने अपने पति के चलाए जाने वाले ट्रक को औपचारिक पक्षकार सं. 4 के रूप में पक्षकार बनाया है। चूँकि उस दुर्घटना में उसके पति की कोई गलती नहीं थी लिहाजा उसे ट्रक संख्या- NL01AA2095 की बीमा कंपनी से कोई प्रतिकर नहीं चाहिए क्योंकि उस दुर्घटना में मात्र UP93BT4618 के चालक का संपूर्ण दोष था और पुलिस द्वारा भी उसी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, अतः ट्रिब्यूनल रियलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के विरुद्ध मात्र कल्पना के आधार कोई मनमाना दायित्व निर्धारित नही कर सकता। मेरे विचार से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के विरुद्ध ~~20%~~ पी.ए. कवर तक का दायित्व न तो काल्पनिक है और न ही मनमाना क्योंकि न तो PW-1 चक्षुदर्शी है और न ही इस बात का कोई सबूत है कि ट्रक संख्या- UP93BT4618 के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने का कारण क्या था जैसा कि विधि व्यवस्था New India Assurance Company Limited vs. Monika Oberai and Ors. (16.04.2013 - ALLHC) : MANU/UP/1500/2013 व Nishan Singh and Ors. vs. Oriental Insurance Company Ltd. and Ors. (27.04.2018 - SC) MANU/SC/0463/2018 मे प्रेक्षित किया गया है। जहाँ तक मात्र ट्रक संख्या- UP93BT4618 के चालक के विरुद्ध आरोप पत्र का प्रश्न है तो आरोप पत्र जीवित चालक के विरुद्ध ही प्रस्तुत किया जाएगा न कि मृत चालक के विरुद्ध और मोटर एक्सीडेंट के प्रकरण मे आरोप पत्र को प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिये प्रयोग किया जा सकता है न कि निश्चायक सबूत के तौर पर। कहना न होगा कि ट्रिब्यूनल को गुणवगुण के आधार पर निर्णय मे युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति निर्धारण की भी शक्ति है चाहे ऐसी क्षतिपूर्ति माँगी गई क्षतिपूर्ति से अधिक ही क्यों न हो जैसा कि विधि व्यवस्था Haryana and Ors. vs. Jasbir Kaur and Ors. (05.08.2003 - SC) : MANU/SC/0549/2003 व Mrs. Helen C. Rebello and Ors. v. Maharashtra State Road Transport Corporation and Anr. MANU/SC/0621/1998 मे धारित किया गया है। हलाँकि यह अलग बात है कि याची विपक्षी सं. 4 के विरुद्ध अवार्ड को निष्पादित न कराना चाहे। इस प्रकार मैं निष्कर्ष का हूँ कि इस दुर्घटना मे ट्रक संख्या- UP93BT4618 व ट्रक संख्या- NL01AA2095 के चालकों की क्रमशः 80% व 20% की लापरवाही रही है। तदनुसार दोनों वाद बिंदु निर्णीत किए जाते हैं।

17. **निस्तारण वाद विन्दु संख्या- तीन**

ट्रक संख्या- UP93BT4618 के वाहन स्वामी ने दुर्घटना के समय ट्रक का चालक प्रेम नारायण कुशवाहा को बताया है। आरोपपत्र भी प्रेम नारायण कुशवाहा के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत वाहन ट्रक संख्या- UP93BT4618 के चालक प्रेम नारायण कुशवाहा के चालन अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति 34C/1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अनुज्ञा पत्र दिनाँक 16.02.2012 को निर्गत किया गया है तथा दिनाँक 15.02.2032 तक नॉन ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने हेतु व दिनाँक 19.10.20 तक ट्रान्सपोर्ट वाहन चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी है। उक्त के खण्डन में विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अत: स्पष्ट है कि कथित घटना की दिनाँक व समय पर वाहन ट्रक संख्या- UP93BT4618 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञा पत्र था। तदनुसार वाद विन्दु संख्या- तीन सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

18. **निस्तारण वाद विन्दु संख्या- चार**

पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत वाहन ट्रक संख्या- UP93BT4618 की बीमा पालिसी की छाया प्रति 33C1/3 व परमिट की छाया प्रति 10C1/3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ट्रक चेसिस नं. MB1WADHD7HRJV3982 इंजन नं. HJHZ441901 की बीमा पालिसी दिनाँक 04.01.18 से 03.01.19 तक वैध है व इसका रजिस्ट्रेशन नं. UP93BT4618 है जिसके

खण्डन में विपक्षीगण की ओर से कोई कथन नहीं किया गया है। अत: स्पष्ट है कि कथित घटना की दिनाँक 27.12.18 को वाहन ट्रक UP93BT4618 विपक्षी संख्या- तीन यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. से विधिवत रूप से बीमित था। विपक्षीगण की ओर से उक्त वाहन के अन्य किसी प्रपत्र जैसे फिटनेस, परमिट की वैधता एवं प्रभावी होने पर काई प्रश्नगत चिन्ह नहीं लगाया गया है। तदनुसार वाद विन्दु संख्या- चार सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

19. **<u>निस्तारण वाद विन्दु संख्या- पाँच</u>**

यह वाद विन्दु प्रतिकर निर्धारण से सम्बन्धित है। चूंकि वाद विन्दु संख्या- एक एवं दो ट्रक संख्या- UP93BT4618 के चालक की 80% लापरवाही व ट्रक संख्या- NL01AA 2095 के चालक की 20% योगदायी लापरवाही के रूप मे, तीन एवं चार सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्र सं. 12C1 से यह भी स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय ट्रक संख्या- NL01AA2095 के चालक पवन यादव के पास वैध एवं प्रभावी वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञा पत्र था व ट्रक संख्या- NL01AA2095 का बीमा विपक्षी सं. 4 रियलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से पैकेज पॉलिसी के अंतर्गत स्वामी चालक के लिए था। अत: प्रस्तुत प्रकरण में क्षतिपूर्ति की अदायगी का दायित्व विपक्षी संख्या- तीन यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. पर 80% का है तथा विपक्षी सं. चार रियलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी पर 20% का है।

20. अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि याचीगण विपक्षीगण से कितनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। याचिका में याचीगण ने कथित घटना के समय मृतक पवन यादव को ट्रक का मालिक एवं चालक होना बताते हुये उसकी प्रतिमाह आय ₹32,000 अर्जित करना बताया है। उक्त के सम्बन्ध में मृतक की पत्नी याची श्रीमती फूलवती ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि उसने अपने पति की आय के सम्बन्ध में कागजात दाखिल किये हैं। उसके पति प्रतिमाह कभी ₹32,000 कभी ₹35,000 और कभी ₹25,000 कमाते थे जिससे खर्च चलता था। वर्तमान मामले में मृतक को तथाकथित ट्रक संख्या- NL01AA2095 का पंजीकृत स्वामी एवं चालक होना बताया गया है और इसी ट्रक को चलाकर मृतक पवन यादव द्वारा उक्त आय अर्जित करना कहा गया है। याचीगण की ओर से ट्रक संख्या- NL01AA2095 के पंजीयन प्रमाण पत्र 13C/1 एवं चालक अनुज्ञा पत्र 12C/1 की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक पवन यादव उपरोक्त ट्रक का पंजीकृत स्वामी एवं चालक था। मृतक की आय को साबित करने के लिए याचीगण की ओर से मृतक द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न की प्रतियाँ दाखिल की गयी है। विवधि व्यवस्था <u>Malarvizhi and Ors. vs. United India Insurance Company Limited and Ors. (09.12.2019 - SC)</u> : MANU/SC/1700/2019 के आलोक मे मृतक की आय निर्धारित करने के लिए यह एक बेहतर साक्ष्य है। याचीगण की ओर से दाखिल आयकर रिटर्न वर्ष 2018-19 प्रपत्र 47C/1 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वित्तीय वर्ष में मृतक पवन यादव द्वारा अपनी कुल वार्षिक आय ₹3,31,850 दर्शित की है जिसपर ₹1,640 आयकर दिया गया है, जिसके खण्डन में विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। पूर्व वित्तीय वर्षों मे भी लगभग इसी तरह के रिटर्न दाखिल किए गए हैं। उपरोक्त स्थिति में प्रतिकर निर्धारण हेतु कथित घटना के समय मृतक पवन यादव की वार्षिक आय ₹3,30,210 निर्धारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। याचीगण द्वारा कथित घटना के समय मृतक की आयु- 32 वर्ष दर्शित की गयी है। याचीगण की ओर से मृतक की आयु को साबित करने के लिए कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि स्वंय मृतक की पत्नी याची श्रीमती फूलवती ने अपनी साक्ष्य में मृतक की आयु घटना के समय 32 वर्ष होना कहा है। पत्रावली पर उपलब्ध मृतक पवन यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 9C/1 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त में मृतक की आयु 35 वर्ष अंकित की गयी है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध मृतक के चालक अनुज्ञा पत्र में मृतक की जन्म तिथि 04.12.1989 अंकित की गयी है जिसके अनुसार कथित घटना की दिनाँक को मृतक की आयु लगभग 29 वर्ष ही होती है। उक्त के अतिरिक्त पत्रावली पर मृतक की आयु के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिकर निर्धारण हेतु कथित घटना के समय मृतक पवन यादव की आयु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित आयु एवं चालक अनुज्ञा पत्र में अंकित जन्म तिथि को ध्यान में रखते हुये लगभग 32 वर्ष निर्धारित किया जाना उचित होगा। विधि व्यवस्था <u>National Insurance Company Ltd. vs. Pranay Sethi & ors. (31.10.17- SC)</u>: MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 31 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रतिकर निर्धारण हेतु 16 का गुणांक प्रयोज्य है तथा 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40% भविष्य की प्रत्याशा में वृद्वि, मृतक के आश्रितों की संख्या चार से छः होने की दशा में उसकी आय से 1/4 भाग की कटौती तथा सहचर्य की क्षति के लिए ₹40,000, सम्पदा की क्षति के लिए ₹15,000 एवं दाह संस्कार के लिए ₹15,000 निर्धारित किये गये हैं। विधि व्यवस्था <u>Sarla Verma and Ors. vs. Delhi Transport Corporation and Ors. (15.04.2009 - SC)</u> : MANU/SC/0606/2009 के अनुसार समान्य नियम यह है कि माँ को आश्रित माना जाएगा किंतु विधि व्यवस्था <u>Gangaraju Sowmini and Ors. vs. Alavala Sudhakar Reddy and Ors. (01.02.2016 - HYHC)</u> : MANU/AP/0096/2016 के अनुसार पिता को भी आश्रित माना जा सकता है। इस प्रकरण मे पिता 62 वर्ष के हैं और ऐसा कोई साक्ष्य नही है कि पिता की कोई स्वतंत्र आय है अतः पिता को भी आश्रित माना जाता है।

21. उपरोक्तानुसार याचीगण को प्रदान की जाने वाली प्रतिकर की राशि की गणना निम्नवत है-

वार्षिक आय				330210
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	132084
स्वयं पर खर्च (भाग में)			4	115573.5
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				346720.5
गुणक			16	5547528
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	5587528
संपदा की क्षति			15000	5602528
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	5617528
UP93BT4618 के चालक की % लापरवाही	80			**4494022.4**
NL01AA2095के चालक की%योगदायी लापरवाही	20			**1123505.6**
NL01AA2095 के बीमाकर्ता का दायित्व				**200000**
कुल क्षतिपूर्ति				**4694022.4**

22. इस प्रकार प्रतिकर की कुल धनराशि ₹46,94,022 आती है। उक्त के अतिरिक्त प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि पर विधि व्यवस्था Nattional Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal & ors. (23.4.19- SC): MANU/SC/0589/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशों के आलोक में 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज याचिका योजित करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक याचीगण को दिलाया जाना तथा विधि व्यवस्था M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक में क्षतिपूर्ति की धनराशि की पंचवर्षीय सावधि जमा से वार्षिकी प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार वाद विन्दु संख्या- पाँच निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षीगण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹46,94,022 (छियालीस लाख चौरानवे हजार बाइस) एवं उस पर 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, याचिका योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक के लिए स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या- तीन यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से 60 दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि का 80% अर्थात ₹46,94,022 एवं उस पर 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, याचिका योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या- 3671000101192489 (IFSC:PUNB0367100) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे।विपक्षी संख्या- चार रियलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से 60 दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹2,00,000 एवं उस पर 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, याचिका योजित किये जाने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या- 3671000101192489 (IFSC:PUNB0367100) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे। याचीगण संख्या- एक, दो, तीन, चार, पाँच व छः क्रमशः 25%, 20%, 20%, 20%, 10% व 5% भाग प्राप्त करेंगे। याचीगण संख्या- एक को प्राप्त होने वाली धनराशि मे से 70% भाग की 5 वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी एवं शेष धनराशि उनके बैंक खाते में इलैक्ट्रानिक मोड से स्थानान्तरित की जायेगी। याचीगण संख्या- दो, तीन, चार की समस्त धनराशि उनकी वयस्कता तक के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे सावधि जमा मे निवेशित की जाएगी। याचीगण संख्या- पाँच व छः को प्राप्त होने वाली धनराशि मे से 70% भाग की 3 वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी एवं शेष धनराशि उनके बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक मोड से स्थानान्तरित की जायेगी।

तदनुसार फार्मल आर्डर तैयार हो।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनाँकः 07.08.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके उदघोषित किया गया।

दिनाँकः 07.08.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

Typographical error corrected vide order dated 11.08.2021

PO
MACT JHANSI
11.08.2021